कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1228 /XXV– 12(P–7)/2008 दिनांक 19 मार्च, 2019.

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा श्री लेखराज सिंह,
एस–142, फेस 4, शिवालिक नगर, भेल रानीपुर,
हरिद्वार– 249403

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड महोदय देहरादून के पत्र संख्या–133/नि.स.–मु.स./सू.अ./2019 दिनांक 11 मार्च, 2019 जो आपको सम्बोधित एवं प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 06 (3) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–03 से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु हस्तान्तरित की गई है। तदनुसार बिन्दु संख्या–03 से संबंधित सूचना 06 पृष्ठों में सत्पापित कर आपको प्रेषित किए जा रहे है।

संलग्न–यथोपरि 06 पृष्ठ।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

संख्या– 182 / XXV-47/2018
दिनांक – 18/01/2019

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन

2– प्रमुख सचिव,
गृह,उत्तराखण्ड शासन

3– पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड

4– सचिव,
राजस्व, उत्तराखण्ड शासन

5– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019, को स्वतंत्र–निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित / सम्पादित करवाने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती / स्थानान्तरण के संबंध में आयोग के निर्देश।**

महोदय,

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित एवं सम्पादित करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या– 437/6/1/INS/ECI/ FUNCT/MCC/2019 दिनांक 16 जनवरी, 2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु नीति निर्धारित की गई है।

1– निर्वाचन कार्य से संबंधित कोई भी अधिकारी यथा, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन से संबंधित नोडल आफिसर यथा अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी और समान पदधारक निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारी गृह जनपद में तैनात नहीं किए जायेंगे। आयोग के उक्त दिशा–निर्देश आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, कमाण्डेंट ऑफ स्टेट आर्म पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एस0एच0ओ0, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, आर0आई0, सर्जेन्ट मेजर और समान पदधारक पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

2– उल्लिखित कोई भी अधिकारी जो **दिनांक 31 मई, 2019** को संबंधित जनपद, तैनाती स्थल पर विगत चार वर्षो में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहा है उन्हें आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित जनपद, तैनाती स्थल से स्थानान्तरित किया जायेगा। तीन वर्ष की उक्त सेवा अवधि में यदि किसी अधिकारी की पदोन्नति भी हुई हो तो उसे भी उक्त अवधि के अन्तर्गत सम्मिलित माना जायेगा।

सत्यापित प्रति

-2-

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

3— निर्वाचक कार्यो से संबंधित उपरोक्त कोई भी अधिकारी जो विगत लोक सभा सामान्य निर्वाचन/किसी भी उप निर्वाचन में किसी जनपद,/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आदि में तैनात रहा हो उन्हें पुनः उसी जनपद/क्षेत्र में स्थानान्तरित/तैनात नहीं किया जायेगा।

4— किसी भी निर्वाचन के सफलतापूर्व संचालन एवं सम्पादन के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यो के लिए बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, इसलिए ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन कार्यो से सीधे सम्बन्ध नहीं हैं, आयोग के उक्त दिशा–निर्देश ऐसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी यथा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षकों, प्रधानाचार्यो तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

5— विगत में यदि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी अधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों में लापरवाही हेतु कोई अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गयी हो, या किसी अधिकारी को विगत किसी निर्वचन में आयोग की संस्तुति पर स्थानान्तरित किया गया हो, अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में निर्वाचन से संबंधित कोई आपराधिक मुकदमा प्रचलित हो, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को निर्वाचन कार्यो से बाहर रखा जायेगा।

6— ऐसे अधिकारी जो आगामी छः माह के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो रहे हैं उन्हें उक्त नीति के अन्तर्गत छूट प्रदान की जा सकती है किन्तु आयोग की पूर्वानुमति के बिना उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यो से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

7— निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त अधिकारियों आदि के द्वारा आयोग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के प्रस्तर (XIV) में नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के 02 दिन पश्चात निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः आयोग के उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में समुचित कार्यवाही करते हुए तदनुसार अनुपालन आख्या सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 21–01–2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक: यथोपरि

सत्यापित प्रति

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2019 **Dated: 16th January, 2019**

To

1. The Chief Secretaries to
all the States and Union Territories.

2. The Chief Electoral Officers of
all the States and Union Territories.

Subject:- General Elections to House of the People (Lok Sabha), 2019 and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim - Transfer/Posting of officers – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the term of existing House of the People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim are upto 3rd June, 2019, 18th June, 2019, 1st June, 2019, 11th June, 2019 and 27th May, 2019, respectively.

2. The Commission has been following a consistent policy that officers directly connected with conduct of elections in an election going State/UT are not posted in their home districts or places where they have served for considerably long period.

3. Hence, the Commission has decided that **no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district of posting:-**

(i) if she/he is posted in her/his home district.

(ii) if she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before 31st May, 2019.

4. **While implementing the above said instructions/transferring officers, the concerned departments of the State Govt. should take care that they are not posted in their home districts. It shall also be ensured that no DEO/RO/ARO/ Police inspectors/Sub-inspector or above is posted back or allowed to continue in the AC /district where he/she was posted during the General/Bye elections held in the Assembly prior to 31st May, 2017.**

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

5. If any small state/UT with a few number of districts, face any difficulty in compliance of the above instruction, then it may refer the specific case with reasons to the Commission through CEO for exemption and the Commission would issue directions, if considered necessary.

6. **Applicability-**

6.1 These instructions shall cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy. DEOs, RO/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works.

6.2 These instructions shall also be applicable to the police department officers such as Range IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs / Sergeant Majors or equivalent ranks, who are responsible for security arrangement or deployment of police forces in the district at election time.

7. Following clarifications/relaxations issued by the Commission, from time to time, are for information/guidance of all the concerned:-.

(i) The police officials who are posted in functional departments like computerization, special branch, training, etc. are not covered under these instructions.

(ii) The Police Sub-Inspectors and above should not be posted in their home district.

(iii) If a police sub-Inspector has completed or would be completing a tenure of 3 years out of four years on or before the cutoff date in a police sub-division, then he should be transferred out to a police sub-division which does not fall in the same AC. If that is not possible due to small size of district, then he/she should be transferred out of the district.

(iv) During an election a large number of employees are drafted for different types of election duty and the Commission has no intention of massive dislocation of state machinery by large scale transfers. Hence, the aforesaid transfer policy is normally not applicable to officers/officials who are not directly connected with elections like doctors, engineers, teachers/principals etc. However, if there are specific complaints of political bias or prejudice against any such govt. officer, which on enquiry, are found to be substantiated, then CEO/ECI may order not only the transfer of such official but also appropriate departmental action against the said officer.

(v) The officers appointed as Sector Officer/Zonal Magistrate involved in election duties are not covered under these instructions. However, the observers, CEO/DEOs and ROs

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

should keep a close watch on their conduct to ensure that they are fair and non-partisan in the performance of their duties.

(vi) While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted.

(vii) These instructions do not apply to the officers posted in the State headquarters of the department concerned.

(viii) It is further directed that the officers/officials against whom the Commission had recommended disciplinary action in past and which is pending or which has resulted in a penalty or the officers who have been charged for any lapse in any election or election related work in the past, shall not be assigned any election related duty. However, an officer who was transferred during any past election under the Commission's order without any recommendation of disciplinary actions will not be, just on this ground, considered for transfer, unless specifically so directed by the Commission. A copy of the Commission's instruction number 464/INST/2008-EPS dated 23rd December 2008 regarding tracking of names of tainted officers is enclosed. CEOs must ensure its compliance.

(ix) The Commission further desires that no officer/official, against whom a criminal case is pending in any court of law, be associated with/deployed on election related duty.

(x) Further, the Chief Electoral Officer of the State/UT shall invariably be consulted while posting the persons in place of present incumbents who stand transferred as per the above policy of the Commission. A copy of each of the transfer orders issued under these directions shall be given to the Chief Electoral Officer without fail.

(xi) The transfer orders in respect of officers/officials, who are engaged in the electoral rolls revision work, if any, during an election year shall be implemented only after final publication of the electoral rolls, in consultation with the Chief Electoral Officer concerned. In case of any need for transfer due to any extra ordinary reasons, prior approval of the Commission shall be taken.

(xii) Any officer, who is due to retire within the coming six months will be exempted from the purview of the Commission's directions mentioned in para-3. Further, officer falling in the category (home/3+ criteria and due to retire within 6 months) if holding an election related post mentioned in para 6.1 and 6.2, shall be relieved of that charge and not be associated with any election related duty. It is however, reiterated that such retiring officer need not be transferred out of the district.

(xiii) It is further clarified that all the officials of the State (except those posted in the office of the Chief Electoral Officer), who are on extension of service or re-employed in different capacities, will not be associated with any election related work.

(xiv) All election related Officers will be required to give a declaration in the format given below to the DEO concerned, who shall inform to CEO accordingly.

DECLARATION

(To be submitted within 2 days after the last date of nomination papers)

> I………………(Name)…………..presently posted …………….from………….(Date)
> Do hereby make a solemn declaration, in connection with the current General/Bye election to Lok Sabha/……………(Legislative Assembly that…………….
>
> (a) I am not a close relative of any of the contesting candidates in the current election/leading political functionary of the state/district at the aforesaid election.
>
> (b) No criminal case is pending against me in any court of law.
>
> Note- If answer of (a) or (b) above is 'YES', then give full details in a separate sheet.
>
> Dated………………
>
> (Name)
> Designation

NOTE- Any false declaration made by any officer shall invite appropriate disciplinary actions.

8. The Commission's aforesaid instructions shall be brought to notice of the concerned departments/offices or State Govt. for their strict compliance. The DEO or concerned district officers shall ensure that officers/officials who are transferred should immediately handover their charge without waiting for their substitute.

9. The Commission has further directed that transfers/postings of all officers covered under the above instructions shall be done by 28th February, 2019, and compliance reports with details of action obtained from the concerned departments/offices of State Government furnished to the Commission by first week of March, 2019.

10. Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

प्राप्त– 12/3/2019

सूचना का अधिकार

धारा6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः /133–मु.स./सू.अ./2019 दिनांकः 11 मार्च, 2019

श्री जितेन्द सिंह द्वारा श्री लेखराज सिंह,
एस–142, फेस 4, शिवालिक नगर, भेल रानीपुर,
हरिद्वार–249403।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2019 जो इस कार्यालय को दिनांक 08.03.2019 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में 03 बिन्दुओं पर सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार आपके आवेदन के क्रम में कार्यालय में धारित सूचना निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0 (1) दिनांक **06.01.2019** का पत्र इस कार्यालय को दिनांक **08.01.2019** को प्राप्त हुआ तथा पृष्ठांकन सं0 **308** दिनांक **09.01.2019** द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। सत्यापित प्रतिलिपि शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी।

बिन्दु सं0 (2) दिनांक **02.03.2019** का पत्र इस कार्यालय को दिनांक **08.01.2019** को प्राप्त हुआ तथा पृष्ठांकन सं0 **2131** दिनांक **08.03.2019** द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। सत्यापित प्रतिलिपि शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी।

बिन्दु सं0 (3) सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित होने के कारण निर्वाचन विभाग को अन्तरित की जा रही है। सत्यापित प्रतिलिपि निर्वाचन विभाग द्वारा दी जायेगी।

अतः आपका आवेदन शिक्षा विभाग/निर्वाचन विभाग को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि शिक्षा विभाग/निर्वाचन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया शिक्षा विभाग/निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**

(पी0सी0 उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी

पृष्ठांकनः 133 /नि.स.–मु.स./सू.अ./2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–लोक सूचना अधिकारी, **शिक्षा विभाग/निर्वाचन विभाग,** उत्तराखण्ड शासन को आवेदक का अनुरोध पत्र दिनांक **02.03.2019** सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा **06(3)** के अन्तर्गत इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना आवेदक को नियमानुसार सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करे। **(संलग्नक–अनुरोध पत्र)**

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 46एफ 317324 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(पी0सी0 उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवा में, दिनांक - 02/3/19

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य सचिव कार्यालय

सचिवालय उत्तराखंड शासन देहरादून

विषय - RTI में सूचना विषयक

महोदय,

प्रार्थी द्वारा आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र भेजे थे उन्ही के सम्बन्ध में प्रार्थी सूचना मांग रहा है जो कि जनहित याचिका जो योजित करनी है उसके लिए अति आवश्यक है। कृपया सूचना देने का कष्ट कीजिएगा।

मांगी जा रही सूचना का बिन्दुवार विवरण

1. प्रार्थी (जितेन्द्र सिंह s/o श्री लेखराज सिंह एस-142, फेस 4, शिवालिक नगर भेल रानीपुर हरिद्वार (249403) ने आपके कार्यालय में दिनांक 06/1/19 को श्रीमान उत्पल कुमार जी मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के नाम से शिकायती पत्र पंजीकृत डाक से भेजा वह शिकायती पत्र आपके कार्यालय में किस तिथि में पहुँचा वह तिथि बताये तथा आपके कार्यालय में किस प्राप्ति पंजिका के क्रमांक में चढ़ा / अंकित है वह क्रमांक भी बताये तथा इस पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की सत्यापित छाया प्रति देने का कष्ट करें।

2. प्रार्थी (जितेन्द्र सिंह s/o श्री लेखराज सिंह एस- 142 फेस 4, शिवालिक नगर भेल रानीपुर हरिद्वार 249403) ने शिकायती पत्र दिनांक 04/3/19 जो कि पंजीकृत डाक से दिनांक 02/3/19 को आपके कार्यालय में भेजा गया है वह किस तिथि में आपके कार्यालय में पहुंचा (वह तिथि बताने का कष्ट करें तथा किस प्राप्ति पंजिका के क्रमांक पर अंकित है वह ~~तिथि भी~~ क्रमांक भी बताये तथा उस पर की गयी कार्यवाही की सत्यापित छाया प्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

3. श्रीमान उत्पल कुमार जी मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून (दैनिक जागरण दिनांक 28/2/19) में खबर जिसमें निर्वाचन में अधिकारी को गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। जिस आदेश / शासनादेश में यह नियम अंकित है उसकी सत्यापित छाया प्रति देने का कष्ट करें।

(NOTE श्री ब्रह्मपाल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी (बे० शि०) हरिद्वार में तैनात है तथा हरिद्वार जनपद के मूल निवासी हैं। जिन्होंने पूर्व में निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता में भी राजनैतिक कार्य किये थे इसकी शिकायत मैंने श्रीमान उत्पल कुमार जी मुख्य सचिव महोदय से की है। ~~जिसे~~ स्थानान्तरण Act में साफ लिखा है कि समूह क व ख के अधिकारियों को गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

दिनांक - 02/3/2019 / 10 रुपये का मूल पोस्टल ऑर्डर No - 46F 317324

अनुरोधकर्ता का नाम पता

Jitendra Singh

02/3/19

जितेन्द्र सिंह s/o श्री लेखराज सिंह

एस - 142 फेस 4

शिवालिक नगर

भेल रानीपुर

हरिद्वार

(249403)

(M)

09758104509

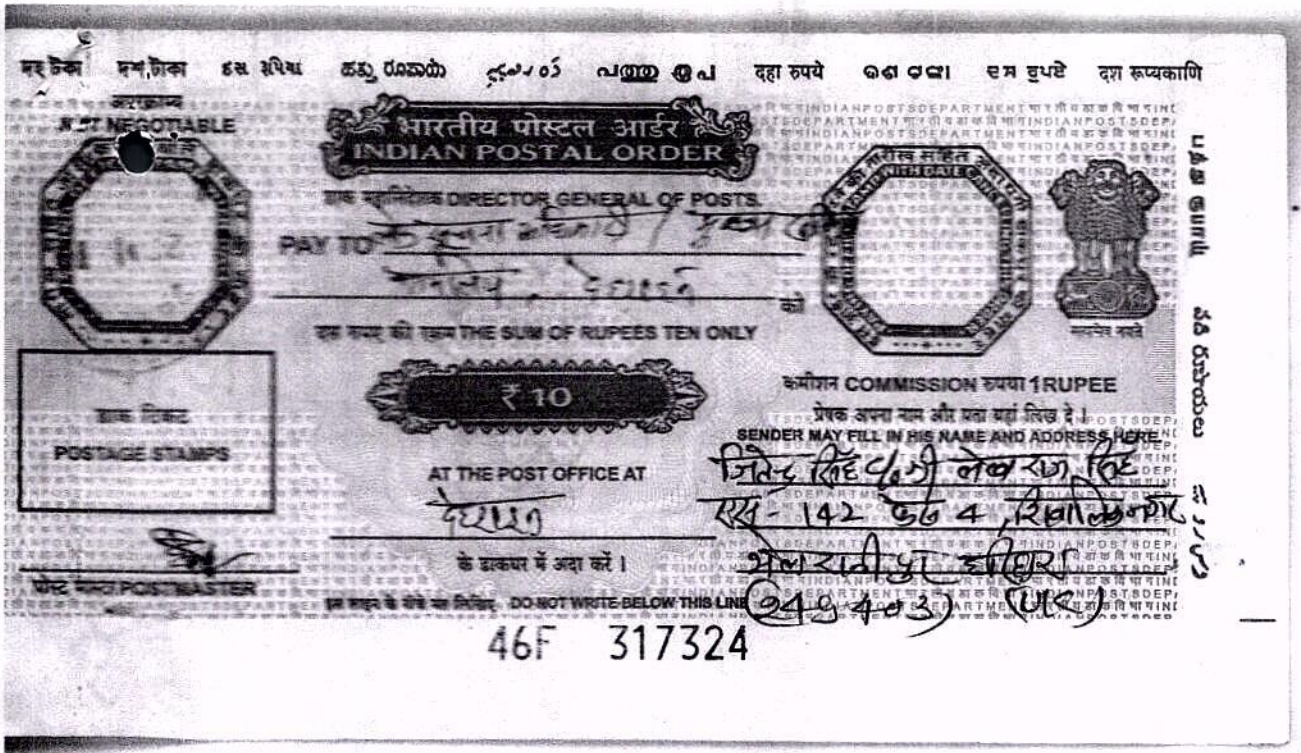

दस टका দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी / ...
... देहरादून को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लेखराज सिंह
एस-142 ब्लॉक 4, शिवालिक नगर
भेलरानीपुर हरिद्वार
(249403) (उ०ख०)

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे न लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46F 317324